करेंट अफेयर्स 30 अगस्त 2022

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (अफस्पा), पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह, नगा विद्रोह, पूर्वोत्तर में शांति पहल

पाठ्यक्रम – सामान्य अध्ययन (पेपर 2) आंतरिक सुरक्षा

खबरों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने इस साल की शुरुआत में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 'शांति, एकता और विकास' रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार का इरादा पूर्वोत्तर से बहुप्रतीक्षित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (अफस्पा) को पूरी तरह से वापस लेने का है।

आफ्सपा के पीछे की पृष्ठभूमि

- आफ्सपा की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन **के दौरान ब्रिटिश शासन से जुड़ी** हो सकती हैं।
- ब्रिटिश सरकार ने **अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश** जारी किया था।
- विगत वर्षों में विभिन्न कारणों से विभिन्न अध्यादेश प्रख्यापित किए गए जिनमें असम अशांत क्षेत्र (1947),असम अशांत क्षेत्र अधिनियम (1955) आदि शामिल हैं।
- अधिनियम को व्यापक अनुप्रयोग **के लिए अफस्पा द्वारा प्रतिस्थापित किया** गया था। **जम्मू-कश्मीर के लिए विशिष्ट** इसी तरह का एक अधिनियम 1990 में अधिनियमित किया गया था।

आफ्सपा के बारे में

- अफस्पा **सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां देता है।**
  - उदाहरण के लिए, यह उन्हें **कानून का उल्लंघन करने या हथियार और गोला-बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने की अनुमति देता है, यहां तक कि मौत का कारण भी बनता है।**
  - इसके अलावा, यह उन्हें **"उचित संदेह"** के आधार पर **वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार** करने और **वारंट के बिना परिसर की तलाशी** लेने की शक्तियां देता है।
- इन क्षेत्रों को **धारा 3 के तहत 'अशांत'** घोषित किए जाने के बाद केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर इसे लगाया जा सकता है।
  - अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया था और किसी क्षेत्र को **"अशांत" घोषित** करने की शक्तियां **राज्यों के साथ केंद्र सरकार को** समवर्ती रूप से प्रदान की गई थीं।
  - वर्तमान में, केंद्रीय गृह मंत्रालय **केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए अफस्पा बढ़ाने के लिए आवधिक "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।**
  - मणिपुर और असम के लिए अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई है।
  - **त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को रद्द कर दिया और मेघालय 27 वर्षों के लिए अफस्पा के तहत था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल 2018 से गृह मंत्रालय द्वारा रद्द[नहीं] किया गया था।**

आलोचना

- यह बिना हिसाब दिए सुरक्षाकर्मियों को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है।
  - इससे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न अत्याचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- आलोचकों का कहना है कि अलोकतांत्रिक कृत्य **आतंकवाद को रोकने** और **अशांत क्षेत्रों** में **सामान्य स्थिति बहाल करने** में विफल रहा है, क्योंकि इस कृत्य की स्थापना के बाद **सशस्त्र समूहों** की संख्या बढ़ गई है।

ओ कई लोग इसे उन क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा के लिए भी जिम्मेदार ठहराते हैं जो यह लागू है।

- न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति का गठन 2005 में अफस्पा की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए किया गया था।

  ·इसने सिफारिश की कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अफस्पा**को निरस्त किया जाए** और **गैरकानूनी गतिविधि संरक्षण अधिनियम को मजबूत किया जाए।**

- यह एक विवादास्पद रहा है, मानवाधिकार समूहों ने आक्रामक होने के रूप में इसका विरोध किया है।
- मणिपुर की प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने आफ्सपा को 'कठोर कानून' करार देते हुए इसे निरस्त करने की मांग को लेकर 2016 के मध्य तक 16 साल तक लड़ाई लड़ी थी।

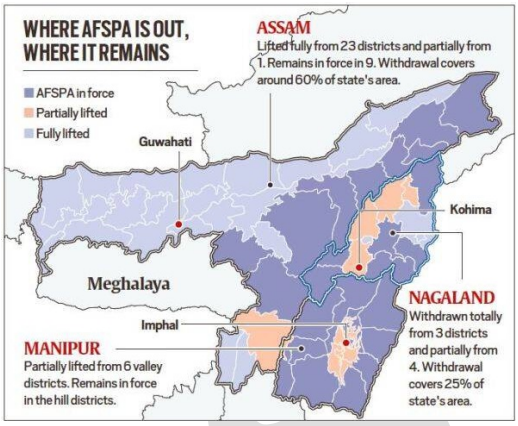

आगे का रास्ता

- उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए **आफ्सपा** की आवश्यकता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की कमी **भी उग्रवाद का एक प्रमुख कारण है** इसलिए सरकार **को वृद्धि और विकास के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में आत्महत्या से होने वाली मौतें सबसे अधिक दर पर

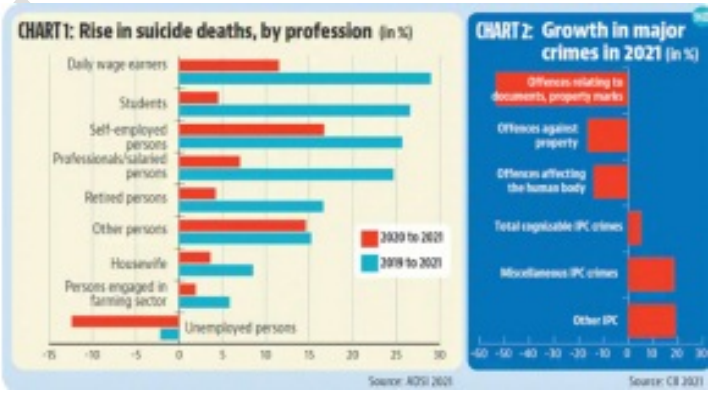

'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' रिपोर्ट 2021 के अनुसार, एनसीआरबी द्वारा भारत में 2021 में प्रति मिलियन आबादी पर 120 मौतें देखी गईं, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महामारी ने भारतीयों की भावनात्मक भलाई पर कितना असर डाला है। इस रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्याओं सहित आकस्मिक मृत्यु, यातायात दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं का आयु-समूह-वार और लिंग-वार विवरण प्रदान किया गया है जो भारत में एक महत्वपूर्ण मामला है। एनसीआरबी 2 अन्य वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट भी जारी करता है: भारत में अपराध: संज्ञेय अपराधों पर सूचना जैसा कि पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट किया गया है, पुलिस हताहत, पुलिस गोलीबारी, पुलिस और नागरिक हताहत हुए हैं। जेल सांख्यिकी भारत: विभिन्न प्रकार की जेलों की संख्या और उपलब्ध क्षमता, जेल अधिकारियों की ताकत और प्रशिक्षण जैसे डेटा और जेल का बजट और खर्च। यह कैदियों के सफल सुधार के लिए जेल बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता के महत्व के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) (मुख्यालय: नई दिल्ली) इसकी स्थापना 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) की सिफारिशों और एक टास्क फोर्स (1985) द्वारा तैयार किए गए तौर-तरीकों के आधार पर की गई थी। एनसीआरबी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस), सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो आदि की भी देखरेख करता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) - वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, वित्त मंत्रालय के तहत 2014 में शुरू किए गए आठ वर्ष पूरे

इस योजना के तहत, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में एक बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है। इस योजना के तहत बुनियादी वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग / बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन किफायती तरीके से शामिल हैं। आर्कटिक में रूस और चीन के सहयोग पर चिंताएं अल्बर्टा के कोल्ड लेक में सैन्य अड्डे पर नाटो सचिव की यात्रा के दौरान उठाई गई थीं। 2014 में, रूस ने एक नया आर्कटिक कमांड बनाया और इसने सैकड़ों नए और पूर्व सोवियत युग के आर्कटिक सैन्य स्थल खोले हैं, जिनमें हवाई क्षेत्र और गहरे पानी के बंदरगाह शामिल हैं। 2018 में, चीन ने क्षेत्रों के

तेल, गैस, खनिजों आदि का दोहन करने के लिए आर्कटिक में शिपिंग, अनुसंधान और अन्वेषण परियोजनाओं में रुचि के साथ खुद को 'निकट-आर्कटिक राज्य' घोषित किया। चीन ने ध्रुवीय सिल्क रोड, यानी आर्कटिक सर्कल के माध्यम से उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने वाले आर्कटिक शिपिंग मार्गों के निर्माण में भी रुचि दिखाई है। आर्कटिक के बारे में यह पृथ्वी का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जो आर्कटिक सर्कल के भीतर के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है- भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 ° उत्तर में अक्षांश की एक रेखा। इसमें अमेरिका, रूस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन का क्षेत्र शामिल है, जो सभी आर्कटिक परिषद का हिस्सा हैं। आर्कटिक परिषद की स्थापना 1996 में आठ आर्कटिक राज्यों द्वारा ओटावा घोषणा के माध्यम से की गई थी। भारत एक गैर-आर्कटिक राज्य के रूप में आर्कटिक परिषद पर्यवेक्षकों का हिस्सा है।

योजना के तहत उपलब्धियां वित्तीय पैठ: स्थापना के बाद से 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 67% जन धन खाते हैं। महिला सशक्तिकरण: 56% जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): जून, 2022 में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 5.4 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को सरकार से डीबीटी प्राप्त हुआ।

2018 से पेश किए गए प्रमुख बदलाव

फोकस 'हर घर' से हर बैंकरहित वयस्क'। रुपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 28.8.2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के कवरेज ने कवरेज को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया।

वित्तीय समावेशन क्या है?

- **वित्तीय समावेशन** को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है **और जहां कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर समूहों द्वारा सस्ती लागत पर आवश्यकता होती है, समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित किया जाता** है।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, वित्तीय समावेशन विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी के बाद से, **क्रमिक सरकारों, नियामक संस्थानों और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों ने देश में वित्तीय-समावेश नेट को बढ़ाने में मदद** की है।

- लेनदेन खाते तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना **व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला कदम है क्योंकि एक लेनदेन खाता लोगों को पैसे स्टोर करने और भुगतान भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।**

  एक लेनदेन खाता **अन्य वित्तीय सेवाओं के प्रवेश द्वार के** रूप में कार्य करता है।

भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए अन्य पहल क्या हैं?

- **डिजिटल पहचान (आधार)**
- **नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई)**
- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना**
- **ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार**
- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा**

आगे का रास्ता

- **सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत पीएमजेडीवाई खाताधारकों का कवरेज सुनिश्चित करने का** प्रयास किया जाना चाहिए।
  - पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत कवर करने की मांग की जाएगी। बैंकों को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है।

- पूरे भारत में स्वीकृति बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से पीएमजेडीवाई खाताधारकों के बीच रुपे डेबिट कार्ड उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
- पीएमजेडीवाई खाताधारकों की **सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म निवेश जैसे फ्लेक्सी-आवर्ती जमा आदि** तक पहुंच में सुधार करना।

RACE IAS